L. A. BILL No. XXXIII OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३३ सन् २०२३।

महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करना और भूतलक्षी प्रभाव से शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति से संबंधित तद्धीन जारी सरकारी नियमों और अधिसूचना को पुन:अधिनियमित करना और अत: उसके उपबंधों को विधिमान्य करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरावें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् १९७१ का महा. २८ ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के नियमों और अधिसूचना का पुन:अधिनियमितिकरण तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

संक्षिप्त नाम ।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " का तात्पर्य, धारा ३४क की उप-धारा (१) के अधीन गठित शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति, से है; " ;

(दो) खण्ड (ग-ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग-ग) " शिकायत प्रतितोष समिति " का तात्पर्य, धारा ३४क की, उप-धारा (२) के अधिन गठित शिकायत प्रतितोष समिति से है; "।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३ख में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ख की, उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी और ८ मार्च, २०१७ से जोड़ी गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

" (७) मकान या संक्रमण वासगृह के आबंटन या उसके समान आबंटन करने से इनकार करने और आम मलिन-बस्ती पुनर्वास योजना के अनुसार एक विशेष मलिन-बस्ती पुनर्वास योजना को अनुमोदन देने या उसे इनकार करने के संबंध में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है; के द्वारा जारी या दी गई कोई सूचनाओं, निदेशनों या आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, सुचनाओं, निदेशनों या आदेशों की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के अवधि के भीतर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष ऐसा अपील दायर कर सकेगा और ऐसे अपील में शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का विनिर्णय अंतिम होगा । "।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३ग में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३ग की, उप-धारा (२) में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३घ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३घ के,—

(१) खण्ड (ख) के,—

(एक) उप-खण्ड (दो) (ग) की, उप-धारा (४) में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(दो) उप-खंड (दो) (घ) की उप-धारा (५) में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द जहाँ कहीं वें आए हों, के स्थान में " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(तीन) उप-धारा (१०) के, उप-खण्ड (दो) (ज) के परंतुक में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द दोनों स्थानों पर, जहाँ कही वें आए हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(चार) उप-खंड (तीन) की, धारा १३ की, उप-धारा (३) के तृतीय परंतुक में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द दोनों स्थानों पर, जहाँ कही वें आए हों, के स्थान में, " शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे और ८ मार्च, २०१७ से रखे गए समझे जायेंगे ;

(२) खण्ड (ङ) में—

(एक) उप-खण्ड (एक-क) की, विद्यमान धारा ३३, उसकी उप-धारा (१) के रूप में, पुनःक्रमांकित की जायेगी; और इसप्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात् निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी और ८ मार्च, २०१७ से जोड़ी गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है, की उप-धारा (१) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति को कोई अपील प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे अपील में शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का विनिर्णय अंतिम होगा ।" ;

(दो) उप-खण्ड (पाँच) की धारा ३८ की, उप-धारा (३) के पश्चात् निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी और ८ मार्च, २०१७ से जोड़ी गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है, ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा, उप-धारा (१) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का कोई आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे अपील में शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का विनिर्णय अंतिम होगा ।" ;

६. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्,— सन् १९७१ का महा. २८ में नई धारायें ३४क और ३४ ख का निवेशन।

(१) निम्न धारा निविष्ट की जायेगी और ८ मार्च २०१७ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

" **३४क.** (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जैसा कि उसे समनुदेशित किया जा सके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और सरकार जिसे उचित समझे ऐसी संख्या के सदस्यों से मिलकर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा गठन करेगा। शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति का गठन।

(२) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति की, शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा कृत्यों का अनुपालन करेगी अर्थात् :-

(एक) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अधिकारी जिसको, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है, के आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना तथा निपटान करना ;

(दो) राज्य सरकार उसके द्वारा निर्देशित कोई प्रश्न या मामले ;

(३) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा उनकी बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए ।" ।

(२) इसप्रकार निविष्ट की गई धारा ३४क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" **३४ख.** (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जैसा कि उसे समनुदेशित किया जा सके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और सरकार जिसे उचित समझे ऐसी संख्या के सदस्यों से मिलकर शिकायत प्रतितोष समिति का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा गठन करेगी। शिकायत प्रतितोष समिति का गठन।

(२) शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा उनके बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए ।" ।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३५ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ३५ की,—

(१) उप-धारा (१क) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) उप-धारा (१) के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। ऐसे अपील में शिकायत प्रतितोष समिति का विनिर्णय अंतिम होगा। " ;

(२) उप-धारा (५) अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ४२ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम को धारा ४२ में, " शिकायत प्रतितोष समिति " शब्दों के स्थान में, " शिकायत प्रतितोष समिति और शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति " शब्द रखे जायेंगे ।

महाराष्ट्र मलीन बस्ती क्षेत्र (सुधार उन्मूलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ की भूतलक्षी प्रभाव से पुनःअधिनियमितिकरण।

९. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति से संबंधित महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, " नियम " कहा गया है) २३ फरवरी २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा पुनःअधिनियमिति करना सम्यक् तथा विधिमान्य समझा जायेगा और सभी तात्विक समयों पर प्रचालन में रहे है ऐसा समझा जायेगा मानों कि वे इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसरण में बनाए गए है। सन् १९७१ का महा. २८ ।

शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के गठन संबंधि दिनांकित ८ मार्च २०१७ की सरकारी अधिसूचना की भूतलक्षी प्रभाव से पूनःअधिनियमितिकरण।

१०. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति गठीत करने से संबंधित सरकारी अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग की क्र. झोपासु १००८/प्र.क्र. १४३(१)/मलीन बस्ती-१ दिनांकित यह ८ मार्च २०१७. (जिसे इसमें आगे, " अधिसूचना " कहा गया है) ८ मार्च २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा पुनः अधिनियमितिकरण सम्यक् तथा वैध रूप से बनाया है ऐसा समझा जायेगा और सभी तात्विक समयों पर कारगर रहा हैं ऐसा समझा जायेगा, मानों कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसरण में जारी किया गया है । सन् १९७१ का महा. २८ ।

विधिक कार्यवाहियों का उपशमन।

११. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के नियमों और अधिसूचना का पुनःअधिनियमितिकरण तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ के प्रारम्भण के दिनांक के सद्य पूर्व या महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मुलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ या शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के संबंध में किये गये नियम या जारी अधिसूचना के अनुसरण में या शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति द्वारा बनाया गया या जारी किए गए आदेशों, विनिर्णयों, सूचनाओं, परिपत्रकों, संकल्पों, निदेशनों या उसकी कोई अन्य कार्यवाहियों के संबंध में किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष विलंबित सभी विधिक कार्यवाहियाँ, उस आधार पर शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य उक्त अधिनियम, में उपबंधित नहीं किए गए थे और उक्त समिति को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा करने की अधिकारिता नहीं थी या ऐसा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं थी, के नियम और अधिसूचना का उपशमन होगा । सन् २०२३ का महा. .....। सन् १९७१ का महा. २८ ।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

१२. महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के उल्लंघन में, ८ मार्च, २०१७ से प्रारम्भ होनेवाली तथा महाराष्ट्र मलिन बस्ती (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के नियमों और अधिसूचना का पुनःअधिनियमितिकरण और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, " संशोधन अधिनियम " कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक पर समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति द्वारा पारित आदेशों समेत कृत या किए गए सभी कृत्य, कार्यवाहियाँ या कार्य, नियम और अधिसूचना उक्त अधिनियम के अधीन की गई सन् १९७१ का महा. २८ । सन् २०२३ का महा. .....।

समझी जायेगी और हमेशा विधि के अनुसरण में सम्यक् रूप से तथा वैध रूप से की गई समझी जायेगी मानों की संशोधित अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर निरंतर प्रवर्तन में रहे थे और तद्नुसार, उक्त समिति द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, किसी मलिन बस्ती पुनर्वास योजना के संबंध में किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा कृत या की गई सभी कार्यवाहियाँ या कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए की गई समझी जायेगी और उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसरन में हमेशा कृत या की गई समझी जायेगी।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति ।

१३. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जाएगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (सन् १९७१ का महा. २८) राज्य में मलिन बस्ती का सुधार तथा उन्मूलन करने के लिए और उनका पुनर्वास तथा बेदखल करने तथा करस्थम् अधिकारपत्र से अधिभोगीयों का संरक्षण करने के लिए बेहतर उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम का अध्याय एक-क में, राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी के साथ मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा संरक्षित अधिभोगियों को नए स्थान पर बसाने और पुनर्वास करने के लिए मलिन बस्ती पुनर्वास योजना की तैयारी के लिये कतिपय उपबंधों अंतर्विष्ट है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३५ **अन्य बातों के साथ** राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गठित शिकायत प्रतितोष समिति के समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, मलिन बस्ती पुनर्वास क्षेत्र, उन्मुलन आदेश, बेदखल आदेश आदि, की घोषणा के संबंध में मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण के विरुद्ध अपील दाखिल करने के लिए उपबंध करती है।

तथापि, सरकारने, उक्त अधिनियम की धारा ३५ के अधीन अपीलों की, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति का गठन करने के लिए दिनांकित ८ मार्च २०१७ को एक अधिसूचना जारी की है। शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति समेत शिकायत प्रतितोष समिति के कारोबार के संव्यवहार करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (शिकायत प्रतितोष समिति) नियम, २०१४ तैयार की है। महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में उसके उपबंध किये बिना शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति से संबंधित उक्त अधिसूचना जारी की है और उक्त नियम किये गये है।

३. इसलिए, सरकार, शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति के गठन के लिए तथा उनकी शक्तियाँ तथा कृत्यों का भूतलक्षी प्रभाव से उपबंध करने तथा उसके लिए आवश्यक विधिमान्य उपबंध करने के लिए महाराष्ट्र मलिन बस्ती (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में यथोचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २४ जुलाई, २०२३।

अतुल सावे,
गृहनिर्माण मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खंड ६.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय राज्य सरकार को, महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में नवीन धारा में ३४क और ३४ख निविष्ट करने की शक्ति यथा निम्न में प्रदान की गई है,—

(क) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति का गठन **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा करना ; और

(ख) शीर्ष शिकायत प्रतितोष समिति और शिकायत प्रतितोष समिति के अध्यक्ष और ऐसी संख्या के सदस्यों की अर्हताएँ, उनके कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया, उनके बैठकों के लिए गणपूर्ति विहित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खंड १३.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, जो अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत हो सके, कोई कठिनाई का निराकरण करने के लिए कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २४ जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई